

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Notification

The 16th October, 1998

No. G.S.R.55/Const./Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules, regulating the recruitment and conditions of Service of persons appointed to the Haryana Electronics & Information Technology Department (Group D) Service, namely:—

PART I—GENERAL

Short Title and commencement:

1. (1) These rules may be called the Haryana Electronics & Information Technology Department (Group D) Service Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions:

2. In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "director" means the Director, Electronics & Information Technology Department, Haryana;
- (b) "Direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
- (c) "Employment Exchange" means State Employment Exchange, Haryana;
- (d) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;
- (e) "institution" means:
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules;
- (f) "Service" means the Haryana Electronics Department (Group D) Service.

Number and Character of posts:

3. The Service shall comprise the posts shown in appendix A to these rules:

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such post or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service:

4. (1) No person shall be appointed to any post in Service, unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), or (d) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the appointing authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be recruited to any post in the Service by direct appointment who is less than sixteen years or more than 35 years of age on the last date of submission of application to the appointing authority.

Appointing Authority:

6. Appointment to the posts in the Service shall be made by the Director.

Qualifications:

7. No persons shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 2 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in Column 3 of the aforesaid Appendix in the case of persons appointed other than by direct recruitment.

Disqualifications :

8. (1) No person,—

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment :

9. Recruitment to the service in case of peon shall be made,—

- (i) by direct recruitment ; or
- (ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

Probation :

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise;

Provided that—

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the service may, in the case of appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, discontinue his services; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
 - (i) revert him to his former post ; or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory—
 - (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against a permanent vacancy ; or

- (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has, in its opinion, been not satisfactory,—
 - (i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation ;

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of member appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the appointing authority shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows —

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment ; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the previous appointment, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve :

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the Service may also be deputed to serve under,—

- (i) a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government, or a private body ;

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters :

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service, shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals :

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and the appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation :

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions :

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation :

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes/Ex-servicemen, Physically Handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard from time to time :

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent at any time.

Repeal and savings :

20. Any rule applicable to the service and corresponding if any, of these rules which is enforced immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(See rule 3)

Designation of posts	Number of posts			Scale of pay
	Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5
Peon	—	3	3	Rs. 1550-55-2660-EB-60-3200

APPENDIX B

(See rule 7)

Designation of posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3
Peon	(i) Middle with Hindi	(i) Middle with Hindi

HARYANA GOVT GAZ. JUNE 1, 1999
(JYST 11. 1921 SAKA)

APPENDIX C

[See rule 14 (1)]

Appointing authority	Nature of penalty	Authority empow-ered to impose penalty	Appellate authority
2	3	4	5
1. Minor Penalties:			
Director	(i) warning with a copy in the personal file (character roll);	Director	Government
	(ii) censure ;		
	(iii) withholding of pro- motion ;		
	(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss, caused by negligence or breach of orders; to the Central Govern- ment or a State Govern- ment or to a company, and association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and		
	(v) withholding of incre- ments of pay without cumulative effect ;		
2. Major Penalties :			
	(vi) withholding of incre- ments of pay without cumulative effect ;		

1	2	3	4	5
	(vii)	reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;		
	(viii)	reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced, with or without further directions ; regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;		
	(ix)	compulsory retirement ;		
	(x)	removal from service which shall not be disqualification for future employment under the Government ;		
	(xi)	dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.		

APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4
Peon	(i) reducing or withhold- ing the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment other- wise than on his attaining the age fixed for superannua- tion.	Director	Government

DHARAM VIR,

Commissioner and Secretary to
Government, Haryana, Electronics and
Information Technology
Department.

हरियाणा सरकार

इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 अक्टूबर, 1998

संख्या सांकांनि० 55/संवि०/अनु० 309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप घ) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग 1—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (1) ये नियम हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं।
- (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएँ :

2. इन नियमों में, तब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “निदेशक” से अभिप्राय है, निदेशक, इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा ;

(ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) “रोजगार कार्यालय” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य में स्थित रोजगार कार्यालय ;

(घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(ङ) “संस्था” से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; अथवा

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(च) “सेवा” से अभिप्राय है, हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स विभाग (ग्रुप घ) सेवा।

भाग II-सेवा में भर्तीपदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्याई अथवा अस्याई रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

सेवा में नियुक्त किए गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो;

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) भूटान की प्रजा ; या

(ग) नेपाल की प्रजा ; या

(घ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका या कीनिया, युगांडा तथा तन्जानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीवार) जाम्बिया, मलावी, जायरे और ईथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो ;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) से सम्बन्धित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

(2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है ; किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है ।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था में, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र, और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके संबंधी न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली-भांति परिचित हों और उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें ।

आयु :

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो रोजगार कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सोलह वर्ष की आयु से कम अथवा पैंतीस वर्ष की आयु से अधिक का हो ।

नियुक्ति प्राधिकारी :

6. सेवा स पदों पर नियुक्तियां निदेशक द्वारा की जायेंगी ।

योग्यतायें :

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 3 में उल्लेखित अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो ।

अयोग्यतायें :

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है, या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की सन्तुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर, लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती की ढंग ।

9. सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जायेगी,—

(क) सेवादार की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे कर्मचारियों के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

परिबीक्षा :

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्षों की अवधि के लिये, और यदि अन्यथा किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिबीक्षा पर रहेगा :

परन्तु :—

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पदव्यतीत की गई कोई अवधि, परिबीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ।

- (ब) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी, किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है, परिवीक्षा की विहित अवधि को पूरी होने पर, यदि वह किसी स्थाई पद पर नियुक्त न किया गया है पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।
- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—
- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो—
- (i) उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; अथवा
- (ii) उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति से कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।
- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर नियुक्ति प्राधिकारी;—
- (क) यदि, उसकी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—
- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, उसे उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थाई रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या
- (iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—
- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके संबंध में ऐसी अन्य रीति में कार्यवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति निबन्धन और शर्तें अनुज्ञात करें ; या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, भी शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उसके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता नियत करते समय भर्ती प्राधिकरण द्वारा निश्चित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप से निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में, ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा, जो अपनी पहले ही नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवा काल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर किसी स्थान पर, सेवा करने के लिये, आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने का दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को, सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है:—

(i) कोई कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तराष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा खण्ड (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में करने के लिये प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पेन्शन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पेन्शन, तथा सभी अन्य मामलों में जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में सेवा के सदस्यों समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेश करे, टीका लगवाएगा या पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां, सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, जहां यह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

7-

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों को किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिये अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षणों की कुल प्रतिशतता किसी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन तथा व्यावृत्ति

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी में अनुरूप कोई नियम जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अनुरूप किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पदनाम	पदों की संख्या				वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	जोड़		
1	2	3	4		5
सेवादार	---	3	3		2550-55-2660-ई०बी०-60-3200 रुपए

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिये शैक्षणिक अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अहंताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1	सेवादार	(i) हिन्दी सहित मिडिल	(i) हिन्दी सहित मिडिल

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5

सेवादार	निदेशक	1. छोटी शास्तियां	निदेशक	सरकार
		(i) वैयक्तिक फाईल ; (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;		
		(ii) परिनिन्दा ;		
		(iii) पदोन्नति रोकना ;		
		(iv) आदेशों की अपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है, अथवा संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा		

1	2	3	4	5
		स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्व- विद्यालय को हुई घन सम्बन्धी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; और		
		(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ;		
		2. बड़ी शास्तियां		
		(vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;		
		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये समय- मान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निर्देशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;		
		(viii) निम्नतर वेतनमान, ग्रेड अथवा पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस		

1	2	3	4	5
		समय वेतनमान, ग्रेड		
		अथवा पद या सेवा पर		
		जिससे वह अवनत किया		
		गया था पदोन्नति के लिए		
		साधारणतया रोक होगी		
		ऐसा जिस ग्रेड पद या		
		सेवा से सरकारी कर्मचारी		
		अवनत किया गया था, उस		
		पर बहाली सम्बन्धी और		
		उसकी ज्येष्ठता तथा उस		
		ग्रेड, पद या सेवा पर वेतन		
		के बारे में शर्तों सम्बन्धी		
		अतिरिक्त निदेशों के साथ		
		या उसके बिना होगा;		
		(ix) अनिवार्य सेवा		
		निवृत्ति;		
		(x) सेवा से हटाया जाना		
		जो सरकार को अधीन भावी		
		नियोजन के लिए निरहंता नहीं		
		होगी ;		
		(xi) सेवा से पदव्युत्ति जो		
		सरकार को अधीन भावी		
		नियोजन के लिए सामान्यतः		
		निरहंता होगी ।		

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4
सेवादार	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) उस की अधिवर्षिता के लिये नियत आयु होने से पूर्व अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	निर्देशक	सरकार

धर्मवीर,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ।